

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन न० 279/2022

प्रार्थी :- राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

बनाम

विप्रार्थीगण :- चौण्डाराम बुधाराम बंशाराम हुकमाराम पि. शिवाराम, अबालाल,
ताजाराम, बाबुलाल, चौथाराम, गौतम चंद पि, हडमताराम,
मीरो देवी पत्नी हडमताराम कौम कुम्हार सा. सांगरानाडी वगै०

प्रार्थना पत्र धारा 130, 131, 136 भू-राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59, 60,
66, 86 भू-अभिलेख नियम 1970

उपस्थिति :-

1. प्रार्थी, तहसीलदार पचपदरा
2. विप्रार्थीगण, एकतरफा ।



आदेश

दिनांक :- 26.05.2023

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू- राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि में वर्तमान में चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सड़क/ डामर सड़क जो राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते में रास्ते सड़क के रूप में अभिलिखित नहीं है, उसको रास्ते के रूप में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये हैं के क्रम: में प्रस्तुत कर ग्राम भोमसागर, पटवार हल्का खनौडा, भूअ.निरीक्षक बडनावा में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी रास्ता (जो भी लागू हो) प्रस्तावित रास्ता बनावाडा नाडा स्कूल से भोमसागर सीमा तक ग्रेवल सड़क रास्ता चल रहा है ।

26.5.2023

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा


लगातार.....

(2)

उक्त कदीमी रास्ता ग्राम भोमसागर, पटवार हल्का खनौडा, भू.अ.निरीक्षक बडनावा के खसरा संख्या 35, 25 व 03 भूमि में चल रहा है को प्रार्थना पत्र के संलग्न परिशिष्ट 'अ' व नक्शा परिशिष्ट "ब" अनुसार ग्राम बनावाडा नाडा स्कूल से भोमसागर सीमा तक ग्रेवल सडक चल रहे रास्ता को सम्बन्धित खातेदारों की खातेदारी से परिशिष्ट "अ" में वर्णित विवरण अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उक्त के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी से मौके की विस्तृत रिपोर्ट तलब की गयी जिस पर पत्र क्रमांक/ भू.अ./ 2023/ 1596 दिनांक 25.5.2023 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के संलग्न मौका फर्द अनुसार प्रकरण में दिनांक 18.3.2023 को हल्का पटवारी, हमराह सरपंच ग्राम पंचायत खनौडा के साथ मौके पर पहुंचे, मौके पर बनावाडा नाडा स्कूल से रास्ता चालू हालत में पाया गया। खसरा संख्या 274/35 में रास्ता वर्तमान में बन्द है। खसरा संख्या 35 में से 3-02 बीघा, खसरा संख्या 25 में से 3 बीघा, खसरा संख्या 3 में से 2 बीघा जमीन रास्ता हेतु उपयोग आ रही है। रास्ता मौके पर चालू हालत में पाया गया। मौका फर्द मौके पर बनाई गई जिस पर हल्का पटवारी, सरपंच खनौडा व भूरेखा के हस्ताक्षर अंकित है व सरीफो, चानण खां, बक्से खां के अगुष्ट के निशान अंकित है।

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पंचपदरा के निवेदन पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन एवं समूची स्थिति पर विवेचन किया गया। बहस पर मनन किया गया जिसमें पाया कि उक्त प्रकरण राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि में वर्तमान में चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर


26.5.2024

लगातार.....

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

(3)

सड़क जो राजस्व रेकर्ड में रास्ते में रास्ते सड़क के रूप में अभिलिखित नहीं है, मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत में मौजूद है तथा आम जन इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग में ले रहे हैं, जो आम जन से सम्बन्ध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना को स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है ।


उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को ग्राम भोमसागर, पटवार हल्का खनौडा, भू.अ.निरीक्षक बडनावा के खसरा नं. 35, 25 व 03 भूमि में एक ग्रेवल सड़क / डामर सड़क / बारहमासी रास्ता बनावाडा नाडा स्कूल से भोमसागर सीमा तक ग्रेवल सड़क तक चल रहे को तहसीलदार पचपदरा के पत्र क्रमांक/ भू.अ./ 2023/ 1596 दिनांक 25.5.2023 के संलग्न मौका फर्द दिनांक 18.3.2023 व ट्रेस नक्शा अनुसार रास्ता राजस्व रेकर्ड में अंकन करने का आदेश दिये जाते हैं। उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत अनुसार संबंधित खातेदारान के नाम खाते में ही दर्ज रहेगा। तहसीलदार पचपदरा के पत्र क्रमांक/ भू.अ./ 2023/ 1596 दिनांक 25.5.2023 के संलग्न मौका फर्द दिनांक 18.3.2023 व ट्रेस नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा ।



(विवेक व्यास)

जय खण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 26.05.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



जय खण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

